कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2221718
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–2 B स0अ0/4770/ 01–258–2014/2015 दिनांक : 30 अप्रैल, 2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय,
करमाजीतपुर, सुन्दरपुर,
वाराणसी।

विषय : महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– सम्ब0 835/सत्तर–6–2014–2(457)/2014 दिनांक 24.06.2014 द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा–37 (2) परन्तुक के अधीन दी गयी सम्बद्धता की पूर्वानुमति के आलोक में आप द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 19.09.2014 के साथ संलग्न शपथ पत्र व एवं पत्र दिनांक 27.03.2015 के साथ संलग्न सत्र 2013–14 का परीक्षाफल मानकानुसार (60 प्रतिशत) होने की स्थिति में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 30.10.2014 के विन्दु सं0–22 के उप कमांक–4 (वाराणसी) पर लिये गये निर्णय एवं माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय, करमाजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर गृहविज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र हेतु अधोलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2014 से सम्बद्धता (स्थायी) की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों के भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
2. महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तो का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा भविष्य में शर्ते पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
3. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा–37(6), 37(7) तथा 37(8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगे:–

   37(6) :–कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय–समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

   37(7) :–कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

   37(8) :–कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी भी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तो को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिनियमों के उपबन्धो के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

   उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

.....2

4. महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा कमियों को पूर्ण करने सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराये जाने एवं भविष्य में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश/निर्देश के पालन हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर सम्बद्धता आदेश निर्गत किया जा रहा है। भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
5. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशो एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. रिट याचिका सं0-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
8. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-
1- मा0 कुलपति जी-सूचनार्थ।
2- अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4- उपकुलसचिव (समिति अनुभाग)।
5- परीक्षा नियंत्रक।
6- सम्बंधित पत्रावली।

सहायक कुलसचिव